

०५०

आदेश पत्रक

पकारी, खूँटी।
पत्रांक

129 / 2016

प्रथम पक्ष - अरुण कुमार भाट
बनाम
द्वितीय पक्ष - गोपाल गौंभू वर्मा

19/11

अभिलेख संख्या :- एम. 129 / 2016 धारा :- 107 द.प्र.सं.
पत्रांक प्रमाणी खूँटी के अपराधमित्री संख्या : 42/16

3/2
16/9/16


प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

भूमि विवाद

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायेगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए सरासे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी शर्त के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक :- 30/9/16 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

27/3/18 उमय पत्र अनुपम) यू.टी. (दि. 10/4/18
की 223

10/4/18 उमय पत्र अनुपम) यू.टी. (दि. 3/5/18
की 223

3/5/18 उमय पत्र अनुपम यू.टी. (दि. 15/5/18
की 223

15/5/18 उमय पत्र अनुपम) उमय पत्र जग न्यायालय में
लगाता अनुपम एवं काम करवाते होने के कारण
व्यक्ति को वंचित करवाते

15/5/18